भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या – 141

दिनांक 10 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

***141. सुश्री इकरा चौधरीः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में जनवरी 2026 तक पुनर्संरेखित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई धनराशि अलग-अलग कितनी है और 3% ब्याज राजसहायता में देरी या कमी के क्या कारण हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में फरवरी 2024 से कितनी डेयरी सहकारिताओं ने सफलतापूर्वक 3% ब्याज राजसहायता का लाभ उठाया है और कितनी डेयरी सहकारिताएं इसका लाभ नहीं उठा पाई हैं;

(ग) कार्यशील डेयरी प्रसंस्करण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और छोटे और भूमिहीन किसानों को जिलावार दूध से प्रतिदिन कितनी आय होती है तथा क्या इसे लेखा-परीक्षा द्वारा सत्यापित किया जा सकता है;

(घ) ऋण संबंधी दो करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के कारण कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) परियोजनाओं को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की 25 प्रतिशत ऋण गारंटी नहीं दी गई और इस अवरोध को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सोलहवें वित्त आयोग की समयावधि के दौरान एएचआईडीएफ के लिए क्या योजना है और क्या 3% ब्याज राजसहायता पांच वर्ष तक जारी रहेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि संबंधी दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *141 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क) उत्तर प्रदेश राज्य में, पुनर्संरेखित (realigned) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने जनवरी 2026 तक 1629.25 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 36 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है। 34 परियोजनाओं के लिए 32.81 करोड़ रुपये का ब्याज सबवेंशन जारी किया गया है। दो परियोजनाओं के लिए 3% ब्याज सबवेंशन जारी नहीं किया गया है, क्योंकि संबंधित बैंकों द्वारा सावधि ऋण का वितरण अभी शेष है।

ख) AHIDF एक मांग आधारित योजना है और परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार होने पर यह डेयरी सहकारी समितियों सहित सभी पात्र संस्थाओं के लिए उपलब्ध है। सावधि ऋण के संवितरण के अधीन, केवल एक डेयरी सहकारी परियोजना को ब्याज सबवेंशन के लिए अनुमोदन दिया गया है। चूंकि सावधि ऋण का संवितरण अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए ब्याज सबवेंशन अब तक जारी नहीं किया गया है।

ग) डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 18 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 12 परियोजनाओं ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुसार, इन 12 परियोजनाओं से सामूहिक रूप से 17.86 लाख लीटर/दिन की उत्पादन क्षमता सृजित हुई है जिससे 64,800 किसानों को लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत परियोजनाओं का जिलावार विवरण **अनुबंध I** में संलग्न है।

घ) AHIDF के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा चलायी जा रही क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ऋण राशि पर 2 करोड़ रुपये की कोई सीमा नहीं है।

ङ) दिशा-निर्देशों के अनुसार, AHIDF के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं को आठ वर्ष की अवधि या सावधि ऋण की पूरी अवधि, जो भी पहले हो, के लिए ब्याज सबवेंशन प्राप्त होगा।

अनुबंध I

उत्तर प्रदेश में एएचआईडीएफ के अंतर्गत संचालित डेयरी प्रसंस्करण परियोजनाओं का जिलावार विवरण

जिला	**परियोजनाओं की संख्या**	**परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)**	**क्षमता (LLPD)**	**लाभान्वित किसान**
बागपत	1	31.59	2.50	12500
बुलन्दशहर	1	24.77	1.00	5000
हापुड	2	42.83	3.20	16000
हाथरस	1	65.75	0.88	4000
झांसी	1	4.61	0.01	100
कानपुर नगर	1	69.91	0.40	4200
लखनऊ	1	20.40	4.00	3000
मैनपुरी	1	39.82	2.71	2500
मथुरा	2	85.08	3.16	17000
प्रयागराज	1	3.04	0.00	500
कुल	12	387.80	17.86	64800

LLPD- लाख लीटर प्रति दिन